



छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष -2022

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2022

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022**

विषय—सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	: 1—5
2.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	: 6—8
3.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	: 9—11
4.	राज्य सलाहकार समिति	: 12—13
5.	वर्ष 2022 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	: 14—22
	परिशिष्ट—1(क), परिशिष्ट—1(ख) एवं परिशिष्ट—2	: 23—30
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	: 31—31
	परिशिष्ट	
	वित्तीय वर्ष 2021—22 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	: 32—52

खण्ड—1 प्रस्तावना

1.1 मिशन स्टेटमेंट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 'दी इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन्स एक्ट, 1998 (सन् 1998 का अधिनियम क्रमांक 14)' के अधीन किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने के पश्चात्, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन उक्त अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया। आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं में सौंपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशानिर्देश एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करता है। आयोग के मुख्य उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना सम्मिलित है कि राज्य में पॉवर सेक्टर का विकास वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर आधारित होने के साथ-साथ जन-साधारण तक बिजली की पहुंच यथोचित दर पर हो सके। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार के ऐसे कार्यक्रम लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है, जिससे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को वाजिब दरों पर आपूर्ति एवं आवश्यक उपभोक्ता सेवायें प्राप्त हो सके। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में आयोग पूर्णतः सजग है और सर्व संबंधितों के हित संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है और इस हेतु राज्य में ऐसे परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश के ताप-विद्युत, जल-विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन सुनिश्चित हो सके। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 में उपबंधित किया गया है कि राज्य आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतिविधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में, आयोग द्वारा तैयार कर, राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रमाणित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन द्वारा विधान-सभा के पटल पर रखा जाता है। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2022 के कार्यों का संक्षिप्त विवरण, समाहित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2022) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 3190/S/E/2002 दिनांक 23/08/2002 सहपठित, अधिसूचना क्रमांक 432/R/352 दिनांक 11/05/2004 के तहत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में 01 जुलाई 2004 से कार्यरत है।

राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1825/एफ 1-2/2018/13/1/ऊ.वि. दिनांक 30/06/2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान में आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है:-

क्र.	नाम	पद नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री हेमन्त वर्मा	अध्यक्ष	1325/एफ-7/33/CSERC/2020/13/1 दिनांक 26/06/2021
3.	श्री विनोद देशमुख	सदस्य (न्यायिक)	एफ-1-7/2007/13/1 दिनांक 17/09/2018
2.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	सदस्य	1327/एफ-7/33/CSERC/2020/13/1 दिनांक 26/06/2021

वर्तमान अध्यक्ष श्री हेमन्त वर्मा एवं सदस्य (न्यायिक) श्री विनोद देशमुख तथा सदस्य श्री प्रमोद कुमार गुप्ता का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:-

श्री हेमन्त वर्मा, अध्यक्ष

इंजी. हेमन्त वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.07.2021 को पद भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे दिल्ली की एक विद्युत वितरण कम्पनी में अतिरिक्त उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे। उन्हें विद्युत क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का 32 वर्षों से भी अधिक अवधि का दीर्घ अनुभव है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार), राज्य शासन के संगठन जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड और निजी क्षेत्र जैसे बी.एस.ई.एस. राजधानी पॉवर लिमिटेड (दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तरावर्ती कम्पनी) इत्यादि में कार्य का अनुभव सम्मिलित है। इन पद स्थापनाओं के दौरान उन्होंने (1) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं नियोजन (2) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी (3) टैरिफ/राजस्व और मांग आधारित प्रबंधन (4) पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) (5) ऊर्जा संरक्षण एवं अंकेक्षण (बी.ई.ई. प्रमाणित) आदि का गहन अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे विद्युत संचारण एवं संधारण, वाणिज्यिक क्रय, पारेषण, वितरण, नियोजन और कमीशनिंग, डिज़ाईन और ताप विद्युत सयंत्रों के आक्सीलरी तंत्र की विस्तृत अभियान्त्रिकी में भी अपनी सेवाएं दी।

इंजी. हेमन्त वर्मा ने एन.आई.टी. रायपुर से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. और आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा अध्ययन में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन में एमबीए की उपाधि भी प्राप्त की है। उनकी ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और ऊर्जा संरक्षण हेतु अवसर की खोज ने उन्हें ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षक बनने हेतु प्रोत्साहित किया। जिज्ञासु शिक्षार्थी होने के अतिरिक्त वे एक अच्छे वक्ता भी हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न फोरमों जैसे बीईई, एफआईसीसीआई, टैरी और डीओपी में मांग आधारित प्रबंधन, पीएटी, पारेषण एवं वितरण हानि में कमी तथा ऊर्जा की बचत, वितरण कम्पनियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण और वितरण कम्पनियों की ऊर्जा अंकेक्षण की कार्यप्रणाली आदि विषयों पर प्रस्तुति हेतु अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। उन्हें बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड द्वारा उनके सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी लाने हेतु दिए गये अमूल्य योगदान के लिए सुपर एचीव्हर के रूप में मान्यता दी गई और “सिम्पली द बेस्ट-बेस्ट बिजनेस” अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने टोक्यो में जापान सरकार के ऊर्जा संरक्षण केन्द्र द्वारा सन 2017 में आयोजित किये गये “ऊर्जा संरक्षण” कार्यशाला में भारत की वितरण कम्पनियों का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने उच्चदाब विद्युत लाईनों, ग्रिड उपकेन्द्रों और निम्नदाब लाईनों में हुकिंग के द्वारा की जाने वाली विद्युत की चोरी सहित विद्युत नेटवर्क की देखरेख का कार्य करने के लिए ड्रोन का उपयोग प्रारंभ किया। उन्होंने सन 2020 में विश्व के सबसे बड़े अस्थाई कोविड-19 सुविधा केन्द्र (सरदार पटेल कोविड उपचार केन्द्र) के सम्पूर्ण विद्युतीकरण के कार्य (23मेगावॉट भार) को 15 दिनों के रिकार्ड समय में पूरा करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने कोविड-19 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा फोटो मीटर रीडिंग, ई-बिलिंग, और ई-भुगतान, वर्चुअल आर. डब्ल्यू.ए. मीटिंग और बिलिंग विवादों के निटपारे हेतु लोक अदालत लगाना आदि प्रारंभ किया। उन्होंने 2800 रूफटॉप सौर कनेक्शनों को (90 मेगावॉट से अधिक कनेक्टेड सौर भार) को नेट मीटरिंग के साथ ऊर्जीकृत करवाया। उन्होंने सेवा के क्षेत्रों में लोड शेडिंग को 0.03 प्रतिशत स्तर तक कम करने, राष्ट्रमण्डल खेलों (2010), विश्व व्यापार मेला (2015) और भारत न्यूजीलैंड 2020 मैच इत्यादि सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि कार्यों की पहल की। जुलाई 2019 में जब दिल्ली ने अब तक के सबसे अधिक उच्चतम पॉवर माँग 7409 मेगावॉट का रिकार्ड बनाया, तब उनकी टीम ने इस माँग को भार का सटीक अनुमान, नेटवर्क योजना, प्रणाली का उन्नयन, माँग आधारित प्रबंधन (जैसे पुराने एयर कण्डिशनर का बीईई-5 तारांकित एयर कण्डिशनर में परिवर्तन की योजना) और उपभोक्ताओं से माँग संबंधी जानकारी लेना आदि के माध्यम से पूरा करने की पहल की। टेक्नोक्रेट होने के अलावा उन्हें साहित्य, संगीत और भ्रमण में भी गहरी रुचि है।

श्री विनोद देशमुख, सदस्य (न्यायिक)

श्री विनोद देशमुख, का जन्म 07 मार्च 1961 को रायपुर शहर में हुआ है और उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा रायपुर में प्राप्त की है। उन्होंने बी.कॉम., एल.एल.बी. की डिग्री पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त करने के उपरान्त वर्ष 1987 से अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए रायपुर जिला अदालत एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी वकालत की है। इस दौरान उनके द्वारा कई संस्थानों की पैरवी भी की गई। श्री देशमुख दिनांक 18 सितम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पद पर पदस्थ हैं।

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सदस्य

श्री गुप्ता ने एच.बी.टी.आई., कानपुर से वर्ष 1979 में बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त की। श्री गुप्ता की प्रथम नियुक्ति मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में वर्ष 1980 में सहायक अभियंता प्रशिक्षु के पद पर हुई तथा वर्ष 2000 तक म.प्र.वि. मण्डल में पॉवर ट्रांसमिशन संबंधी कार्यों में अपना योगदान दिया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल / छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही. के उपकेन्द्रों व ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन किया। श्री गुप्ता वर्ष 2017 में मुख्य अभियंता व वर्ष 2020 में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदस्थ हुए। श्री गुप्ता द्वारा मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक निदेशक के पद पर रहते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में अतिउच्च दाब ट्रांसमिशन लाईन एवं उप केन्द्रों के निर्माण कार्य तथा अतिउच्च दाब लाईनों के संधारण एवं प्रदेश की ट्रांसमिशन प्रणाली विस्तार के कार्यों को नये आयाम तक पहुँचाया। 41 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी से जून 2021 में कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। 3 जुलाई 2021 से श्री गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के कार्यालय को भवन ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। ऊर्जा दक्षता का अनुसरण करते हुए 80 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट सहित निर्मित आयोग के मुख्यालय भवन को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया जा चुका है।

1.4 आयोग की वेबसाईट

आयोग की अपनी वेबसाईट (www.cserc.gov.in) है, जिसका आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाईट का प्रयोग अनुसूचित सुनवाई की सूचना देने, समाचार, अद्यतन सूचना, अवधारणा पत्रों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने, विनियमों, याचिकाओं और अधिसूचित विनियमों को अपलोड करने, आयोग के आदेश आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण, फोरमों और लोकपाल पर उपभोक्ताओं को जानकारी भी प्रदान करता है और मार्गदर्शन करता है।

—————00000—————

खण्ड-2

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

2.1 आयोग के कृत्य –

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) में आयोग के कृत्य निम्नानुसार परिभाषित है :—
 - (i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।
 - (ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।
 - (iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।
 - (iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।
 - (v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।
 - (vi) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच के परस्पर विवादों का निराकरण करना और किसी विवाद को माध्यस्थ के लिये निर्दिष्ट करना।
 - (vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।
 - (viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।
 - (ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना।
 - (x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना।
 - (xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।
- (2) उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अंतर्गत, आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:—
 - (i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;
 - (ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;
 - (iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं
 - (iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

2.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। विद्युत अधिनियम, 2003 में आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के लिए विनियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार आयोग द्वारा बनाये गये “कार्य संचालन विनियम 2009” में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप से परिभाषित है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:—

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना-पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय-सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनांक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थता को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत उनके विरुद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम-काज की जाँच करा सकता है।
- यदि आयोग के किसी नियम-कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।

- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है, जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

2.3 आयोग की शक्तियाँ

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः—
 - (i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;
 - (ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;
 - (iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;
 - (iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।
 - (v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;
 - (vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;
 - (vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ हैं।
- (3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

2.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 95 के अनुसार आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएंगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

————00000————

खण्ड-3
मानव संसाधन एवं उनका विकास

3.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। 31.12.2022 की स्थिति में स्वीकृत पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
	आयोग सचिवालय				
1.	सचिव	लेवल-17	1	01	—
2.	उप सचिव	लेवल-14	1	01	—
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	लेवल-13	1	—	01
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	लेवल-12	1	01	—
5.	अनुभाग अधिकारी	लेवल-10	1	—	01
	इंजीनियरिंग विभाग				
6.	निदेशक	लेवल-17	1	01	—
7.	संयुक्त निदेशक	लेवल-14	1	—	01
8.	उप निदेशक	लेवल-13	2	—	02
9.	सहायक संचालक	लेवल-12	2	01	01
	टैरिफ विभाग				
10.	निदेशक	लेवल-17	1	01	—
11.	संयुक्त निदेशक	लेवल-14	1	—	01
12.	उप निदेशक	लेवल-13	1	01	—
13.	सहायक संचालक	लेवल-12	1	—	01
	वित्त विभाग				
14.	आर्थिक सलाहकार	लेवल-15	1	01	—
15.	आर्थिक विश्लेषक	लेवल-14	1	—	01
	विधि विभाग				
16.	निदेशक	लेवल-17	1	01	—
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	लेवल-14	1	—	01
18.	विधि अधिकारी	लेवल-13	1	—	01
	प्रशासकीय विभाग				
19.	लेखाधिकारी	लेवल-12	1	01	—
20.	निज सचिव	लेवल-10	2	01	01
21.	निज सहायक	लेवल-9	5	03	02

22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	लेवल-9	2	01	01
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	लेवल-8	1	01	—
24.	स्टेनोग्राफर	लेवल-7	5	—	05
25.	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-6	3	—	03
26.	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	4	03	01
27.	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल-4	4	—	04
28.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	5	02	03
29.	वाहन चालक	लेवल-4	4	03	01
30.	भूतय	लेवल-1	11	08	03
31.	माली	लेवल-1	1	—	01
	योग		68	32	36

3.2 आयोग में वर्ष 2022 में सेवारत अधिकारी एवं कर्मचारी:—

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2022 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी सेवारत रहे:—

क्रमांक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री एस.पी. शुक्ला	सचिव	21.10.2004
2.	श्री विवेक गनोदवाले	निदेशक (विधि)	10.12.2004
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह	निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
4.	श्री कमलेश कुमार दिल्लीवार	निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
5.	श्री सुरोबिन राय	आर्थिक सलाहकार	06.10.2009
6.	श्री सुधीर कुमार काले	उप सचिव	04.05.2022 संविदा पर
7.	सुश्री रेशमा सेतपाल	उप निदेशक (टैरिफ)	20.09.2022 प्रतिनियुक्ति पर
8.	श्री अमल गुहा	स्टॉफ अफिसर	31.12.2005
9.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे	सहायक निदेशक(इंजीनियरिंग)	01.04.2017 प्रतिनियुक्ति पर
10.	श्री पी. वेणु गोपाल	लेखाधिकारी	02.09.2010
11.	श्री इंद्रेश गुप्ता	सहा. निदेशक (सू.प्रौ. एवं रिम्स)	13.01.2006
12.	श्री नीरज कुमार वर्मा	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	16.01.2006
13.	श्री ए.वल्ला नायडू	निज सहायक	16.10.2008
14.	कु. जयंती मंडावी	निज सहायक	03.11.2008
15.	श्री विजेन्द्र चंद्राकर	निज सहायक	31.10.2011
16.	श्री अशोक कुमार मंडल	कनिष्ठ लेखाधिकारी	03.01.2007
17.	श्री महेश कुमार टेम्भूर्णे	का.सा. श्रेणी-2	09.02.2007
18.	श्री मनोज कुमार लहरे	का.सा. श्रेणी-2	01.04.2011
19.	श्री देवेनगिरि गोस्वामी	का.सा. श्रेणी-2	06.04.2011
20.	श्री दीपक शुक्ला	का.सा. श्रेणी-3	01.01.2009
21.	श्री रितेश यादव	का.सा. श्रेणी-3	01.01.2009

3.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रम:-

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2022 में भी आयोग के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम – आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री एन.डी. तिगाला विद्युत लोकपाल	प्रोटेक्शन ऑफ कन्स्यूमर इंटररेस्ट	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स (FOR)	2 दिवस (22 एवं 23 जनवरी 2022 तक)
2.	श्री सुरोबिन रॉय, आर्थिक सलाहकार	20वां कोर कोर्स	साउथ एशिया फोरम ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशन (SAFIR)	3 दिवस (21 से 23 फरवरी 2022 तक)
3.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे सहायक निदेशक (इंजी.)	तीन सप्ताह ऑनलाइन केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	3 सप्ताह (07 फरवरी से 25 फरवरी 2022 तक)
4.	श्री सुरोबिन रॉय, आर्थिक सलाहकार	फोर्थ बैच तीन माह ऑनलाइन सर्टीफिकेट कोर्स- रेग्युलेटरी गर्वनेंस पर	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	तीन माह
5.	श्री रविकांत वर्मा स्टॉफ कंसलटेंट	फोर्थ बैच तीन माह ऑनलाइन सर्टीफिकेट कोर्स- रेग्युलेटरी गर्वनेंस पर	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	तीन माह
6.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे सहायक निदेशक (इंजी.)	वेस्टर्न रीजन के लिए रिसोर्स एडीक्वेसी पर-रीजनल लेवल वर्कशाप	सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (CERC)	28 अक्टूबर 2022
7.	सुश्री रेशमा सेतपाल, उप निदेशक (टैरिफ)	2 सप्ताह ऑनलाइन रेग्युलेटरी सर्टीफिकेशन प्रोग्राम	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स (FOR) के मार्गदर्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर (IIT) द्वारा	2 सप्ताह (7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2022 तक)
8.	सुश्री रेशमा सेतपाल, उप निदेशक (टैरिफ)	3 दिवसी केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (FOIR)	(11 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2022 तक)

खण्ड-4 राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। तदनुसार गठित राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श देती है:—

- (1) मुख्य नीतिगत विषयों पर;
- (2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;
- (3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;
- (4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं
- (5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

आयोग द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के पालन में वर्तमान में 16 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति में राज्य शासन सहित वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के 16 प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं।

आयोग के अध्यक्ष उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष है और आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

राज्य सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिनिधित्व
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर,	विशेष आमंत्रित
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर।	पदेन सदस्य
3.	प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., डंगनियां, रायपुर।	अनुज्ञप्तिधारी
4.	निदेशक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।	अनुसंधान निकाय
5.	मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर (सी.ई.डी.ई.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, विद्युत विभाग, बिलासपुर।	परिवहन के प्रतिनिधि
6.	महा सचिव, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर।	उद्योगों के प्रतिनिधि
7.	श्री सरोज महापात्रा, सदस्य "प्रदान", ई-2/28, द्वितीय तल, गुरु घासीदास कॉलोनी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर।	गैर सरकारी / अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि

8.	श्री अमित वर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सदस्य, ग्राहक पंचायत, एच.आई.जी.-61, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर।	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	डॉ. शुभ्रता गुप्ता, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल विभाग, राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, जी.ई. रोड, रायपुर।	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
10.	श्री सत्यसिबा दास, प्रोफेसर, ऑफिस न. 109, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग (कर्मशिला), भारतीय प्रबंधन संस्थान, अटल नगर, कूरू (अभनपुर), रायपुर।	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
11.	डॉ. दीपक शर्मा, विभागाध्यक्ष, जेनेटिक एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर।	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
12.	श्री उमेश चितलांगिया, अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), छत्तीसगढ़ स्टेट कॉउंसिल, 12 जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा तालाब के पीछे, रायपुर।	उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	श्री अशोक श्रीनिवास, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, प्रयास (एनर्जी ग्रुप), यूनिट III ए एंड बी, देवगिरी, जोशी रेलवे संग्रहालय लेन, कोथरुड औद्योगिक क्षेत्र, कोथरुड, पुणे (महाराष्ट्र)	गैर सरकारी / अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
14.	सचिव, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, 34CG+FX5, आरएनएम पब्लिक स्कूल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा, बिलासपुर।	उद्योगों के प्रतिनिधि
15.	श्री केतन दोशी, "तुलसी" रत्नाबंधा रोड धमतरी, धमतरी।	उपभोक्ता के प्रतिनिधि
16.	चेम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर।	बाणिज्य

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठक:-

वर्ष 2022 में राज्य सलाहकार समिति की दो बैठक संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत निवेश के अनुमोदन, टू-अप एवं टैरिफ/प्रभार के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर एवं उपभोक्ता परिवेदना निवारण फोरम की सेवाओं में सुधार बाबत सुझाव पर चर्चा हुई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार प्राप्त किए गए।

—000—

खण्ड—5

वर्ष 2022 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का प्रकाशन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौंपे गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को सुसंगत विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(3) के अनुपालन में विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित कर संबंधित पक्षकारों से सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित करना आवश्यक है। तदनुसार प्राप्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरान्त आयोग द्वारा विनियम अधिसूचित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार आयोग, अपने स्थापना वर्ष 2004 से निरंतर विनियम के प्रकाशन की कार्यवाही कर रहा है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में प्रचलित/प्रभावशील विनियमों का विवरण निम्नानुसार है :—

(1) वर्ष 2022 के पूर्व अधिसूचित विनियम:—

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम—2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा—स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय—वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन-प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
13.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कंडिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकाउंटिंग टू मल्टी-ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन-विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम, 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2018	06.04.2018
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
24.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012
25.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
26.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	21.03.2016
27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012	06.10.2012
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
31.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
32.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016	16.06.2017
33.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	09.09.2015
34.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम 2016	16.06.2017
35.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016	01.09.2016
36.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016	16.06.2017
37.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016	27.06.2016

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
38.	CSERC (Intra-state Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016	07.11.2016
39.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2016	01.12.2016
40.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019	05.10.2019
41.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.	30.12.2019
42.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	09.01.2020
43.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020	27.05.2020
44.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	14.07.2020
45.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	24.07.2020
46.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020	06.11.2020
47.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	11.11.2021
48.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021 कहलायेंगे।	11.11.2021
49.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021	18.11.2021
50.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021	27.12.2021

(2) वर्ष 2022 में अधिसूचित विनियम एवं दिशा-निर्देश:-

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022	31.12.2022
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग) दिशा-निर्देश, 2022	31.12.2022
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता एवं आर.ई.सी. पद्धति का क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022	31.12.2022

5.2 आयोग द्वारा वर्ष 2022 में अधिसूचित विनियमों एवं दिशा-निर्देश में किये गये मुख्य प्रावधान:-

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार पर्यावरण हितैषी होने के कारण ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को विकसित करने पर बल दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003 में भी भारत सरकार द्वारा इस बारे में नीति निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसी तारतम्य में आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 तैयार किया है। इन विनियमों में राज्य के गौठानों में गोबर गैस से उत्पन्न होने वाले विद्युत के दरों के निर्धारण हेतु मापदण्ड का प्रावधान किया गया है।
2. विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 86(1)(ई) सहपठित धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं इस बाबत सक्षमता प्रदान करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 तैयार किया गया है। इन अधिनियमों में वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व निर्धारित किया गया है तथा वर्ष 2023-24 से 2029-30 तक ऊर्जा भंडारण (बैटरी स्टोरेज) दायित्व निर्धारित किया गया है।
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 को और प्रभावशाली बनाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग) दिशा-निर्देश 2022, तैयार किया गया है। इस दिशा निर्देश से

राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न जगहों में होने वाले विद्युत खपत को समूह निवल मीटरिंग (ग्रुप नेट मीटरिंग) के माध्यम से सौर ऊर्जा से नेटिंग कर सकेगा। इस प्रकार हाऊसिंग सोसाईटी/ग्रामीण अंचलों में रहने वाले विद्युत उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर अपने विद्युत खपत को सौर ऊर्जा से वर्चुवल नेट मीटरिंग के प्रावधानों द्वारा नेटिंग कर सकेगा।

5.3 वर्ष 2022 में आयोग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दायर याचिका क्रमांक 75/2021, 02/2022, 03/2022 एवं 01/2022 में आदेश पारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है।
2. डी बी पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 48/2021 में जांजगीर-चांपा स्थित 1200 मेगावाट (2x600 मेगावाट) क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।
3. जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 33/2021 में रायगढ़ स्थित पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।
4. रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 67/2020 में रायगढ़ स्थित 600 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पॉवर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।
5. लेन्को अमरकंटक पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 18/2018 में कोरबा स्थित 300 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।
6. लेन्को अमरकंटक पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 31/2020 में कोरबा स्थित 300 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।
7. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 45/2022 में रायगढ़ स्थित पावर स्टेशन की वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ट्रू-अप एवं ट्रान्समिशन टैरिफ का निर्धारण किया गया है।
8. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 46/2022 में रायगढ़ स्थित पावर स्टेशन की वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता, वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ट्रू-अप एवं विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है।

9. स्वप्रेरित याचिका क्र 61/2020, आदेश दिनांक 18.04.2022 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटेक्टिव विकेंद्रीत नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों) विनियम, 2019 में कठिनाईयों को दूर किया गया एवं सौर ऊर्जा के बैंकिंग हेतु प्रावधान को भी सुसंगत किया गया है।

5.4 वर्ष 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए जारी टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु :-

- घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- अन्य सभी विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- 220 kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- HV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को वर्तमान टैरिफ में ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रावधान को LV-5 श्रेणी के पोहा एवं मुरमुरा मिल पर लागू करते हुए उन्हें भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- HV-3 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले टैक्सटाइल उद्योग के साथ पॉवरलूम, हैण्डलूम, जूट इण्डस्ट्री एवं इथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- उपयुक्त निम्नदाब एवं उच्च दाब श्रेणियों के वर्तमान में लागू बिलिंग डिमाण्ड को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है।
- राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की कार्य कुशलता, बिलिंग दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे गौठानों को घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय श्रेणी में जारी रखा गया है।
- गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।

5.5 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

वर्ष 2022 में आयोग ने कुल 102 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें से आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर 15 मामले पंजीबद्ध किये हैं तथा विभिन्न पक्षकारों ने विभिन्न मामलों के कुल 87 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त प्रकरणों में से 69 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में किया गया। 01.01.2022 को, पूर्व वर्षों के 45 प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 39 प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2022 में किया गया। इस तरह वर्ष 2022 में कुल 108 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

उपरोक्त विवरण निम्नांकित सारणी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

याचिकाओं का निराकरण			
01.01.2022 की स्थिति में विचाराधीन याचिका	वर्ष 2022 के अंत तक पंजीकृत याचिका	वर्ष 2022 में कुल निराकृत	01.01.2023 की स्थिति में विचाराधीन
45	102	108	39

5.6 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना:-

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के प्रावधानानुसार राज्य में, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की गई है, वर्ष 2022 में उपभोक्ता शिकायतों के 59 प्रकरण रायपुर, 137 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 6 प्रकरण जगदलपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 72 प्रकरण रायपुर, 115 प्रकरण बिलासपुर एवं 8 प्रकरण जगदलपुर फोरम में निराकृत किये गये, जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परन्तु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिंदल औद्योगिक पार्क में कार्यरत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक-एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुपालन में आयोग द्वारा विद्युत लोकपाल को नियुक्त किया गया है। फोरम के आदेश से असंतुष्ट विद्युत उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कुल 11 प्रकरण विचाराधीन थे। वर्ष अंत तक विद्युत लोकपाल कार्यालय में कुल 28 प्रकरण संस्थित किये गये। विद्युत लोकपाल द्वारा वर्ष 2022 में कुल 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें पूर्व के वर्षों में पंजीकृत प्रकरण भी सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2022 की स्थिति में केवल 14 प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है।

5.7 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्थिति—

1	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	00
2	वर्ष 2022 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	18
	योग	18
3	स्वीकृत एवं निराकृत आवेदनों की संख्या	18
4	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	00
5	निर्णय हेतु विचाराधीन	00

5.8 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः आवेदन के निराकरण का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट-1 (क)

आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित टैरिफ

उपभोक्ता श्रेणी		स्थिर प्रभार	ऊर्जा दर
LV - 1 घरेलू उपभोक्ता एवं बीपीएल उपभोक्ता	वर्ग	रूपये	रूपये प्रति यूनिट
LV-1	0-100	रु. 20 /- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए; रु. 30 /- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.70
	101-200		3.90
	201-400		5.30
	401-600		6.30
	601 एवं उससे अधिक	रु. 40 /- प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए	7.90
LV - 2 गैर घरेलू उपभोक्ता	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-2.1 सिंगल फेस गैर घरेलू उपभोक्ता (5 कि.वा. तक)	0-100	रु. 50 प्रति कि.वा.प्रति माह	5.85
	101-400		6.85
	401 एवं उससे अधिक		8.25
LV-2.2 थ्री फेस गैर घरेलू उपभोक्ता			
15 कि.वा. तक	0-400	रु.120 प्रति कि.वा. प्रति माह बिलिंग डिमांड पर	6.85
	401 एवं उससे अधिक		8.25
15 कि.वा. से अधिक	मांग आधारित	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह बिलिंग डिमांड पर	7.55
LV-3 कृषि उपभोक्ता	-	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.05
LV - 4 निम्नदाब कृषि संबंधी अन्य कार्य	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-4.1 (अ) कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक	-	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 134 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.05
LV-4.1 (ब) कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. तक	-	रु.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 147 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.45
LV-4.2 कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित 15 कि.वा. से 112.5 कि.वा. तक	-	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.65

LV - 5 निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	वर्ग	मांग प्रभार	ऊर्जा दर
LV-5.1 25 एच.पी. तक (18.7 किलोवॉट तक) (आटाचक्की / पावर लूम)	-	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	-	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	3.75
LV-5.2 अन्य उद्योग			
LV-5.2.1 25 एच.पी. (18.7 किलोवॉट) तक अन्य उद्योग	-	रु. 120 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.15
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	-	रु. 100 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15
LV-5.2.2 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. (18.7 किलोवॉट से 112.5 किलोवॉट) तक अन्य उद्योग	-	रु.150 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.90
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	-	रु.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.40
LV-6 सार्वजनिक उपयोग (जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती)	-	रु.142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रु. 190 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.25
LV-7 सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात आधारित टेक्सटाईल उद्योग	-	रु. 150 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.15

परिशिष्ट-1 (ख)

आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित टैरिफ

उपभोक्ता श्रेणी		मांग प्रभार (रूपये प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति kVAh)
HV-1	Railway Traction on 132 kV/220 kV	375	4.55
HV-2	Mines		
	220 KV	500	6.75
	132 KV	500	6.90
	33 KV	500	7.15
	11 KV	500	7.45
HV-3	Other Industry & General Purpose Non-Industrial		
	220 KV	375	6.45
	132 KV	375	6.60
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.85
	33 KV (Load factor<=15%)	190	7.05
	11 KV (Load factor>15%)	375	7.25
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.45
HV-4	Steel Industries		
	220 KV	375	5.45
	132 KV	375	5.60
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.10
	33 KV (Load factor<=15%)	190	6.60
	11 KV (Load factor>15%)	375	6.20
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.00
HV-5	Irrigation, Agriculture, Allied Activities & Public water Works	375	5.85
HV-6	Residential	375	6.05
HV-7	Start up Power Tariff 400/220/132/33/11 kV	200	8.35
HV-8	Industries related to manufacturing of equipment for power generation from renewable energy sources 220/132/33/11 kV	130	4.15
HV-9	Information Technology Industries and export oriented Textile Industries	150	4.25

बिजली उपभोक्ता अपने अधिकार पहचाने

छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020

- प्रत्येक उपभोक्ता निरंतर/निर्बाध एवं क्वालिटी बिजली पाने के हकदार हैं। इसे सुनिश्चित करने, मापदंड निर्धारित करने एवं वितरण कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने नियम बनाये हैं।
- विस्तृत नियम आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in अथवा वितरण कंपनी की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर देखे जा सकते हैं।
- इन नियमों में वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे नये कनेक्शन, बिल संबंधी शिकायत, मीटर/लाइन/ट्रांसफार्मर में खराबी, सप्लाई की बहाली आदि के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- समस्याओं के निराकरण में विलंब अथवा मापदंडों के पालन न होने पर नियमानुसार उपभोक्ता प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का हकदार है।
- उपभोक्ताओं को मुआवजे का दावा संबंधित वितरण केंद्र में करना होगा।
- मुआवजा न मिलने पर संबंधित क्षेत्र के विद्युत फोरम यथा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर में आवेदन कर सकता है।
- फोरम के आदेश के विरुद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील निःशुल्क की जा सकती है।

**परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय
प्रतिकर का स्तर**

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता / उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर
1. सप्लाय की बहाली		
(क) पयूज-ऑफ-कॉल	'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 4 (चार) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे	12 घंटे तक ₹5/- प्रति घंटे तथा 12 घंटे से अधिक अवधि हेतु ₹10/- प्रति घंटे
(ख) लाईन ब्रेक डाऊन	माइनर ब्रेक डाऊन 6 (छः) घंटे मेजर ब्रेक डाऊन 24 (चौबीस) घंटे	
	माइनर ब्रेक डाऊन 12 (बारह) घंटे मेजर ब्रेक डाऊन 2 (दो) दिवस	
(ग) वितरण ट्रांसफार्मर फेल्योर	'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 5 (पांच) दिवस	
(घ) जले मीटर (निम्नदाब)	'ए' संवर्ग के शहर 8 (आठ) घंटे नगरीय क्षेत्रों में 12 (बारह) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस	
(ङ.) भूमिगत केबल में ब्रेक डाऊन	'ए' संवर्ग के शहर 12 (बारह) घंटे नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस	
2. सप्लाय की गुणवत्ता		
(क) घोषित वोल्टेज की तुलना में निर्दिष्ट सीमा में वोल्टेज को मेन्टेन करना	2 (दो) दिवस यदि उल्लंघन ट्रांसफार्मर में पाए गए स्थानीय त्रुटि के कारण है। 10 (दस) दिवस जहां-जहां नेटवर्क में विस्तार/उन्नयन आवश्यक नहीं 120 (एक सौ बीस) दिवस जहां वितरण प्रणाली में अपग्रेडेशन आवश्यक है। सब-स्टेशन की आवश्यकता की स्थिति में 1 (एक) वर्ष	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन के लिये ₹10/-

3. मीटर		
(क) त्रुटिपूर्ण/बिना कार्यरत (बंद, धीमें एवं तेजी से चलने) वाले मीटर संबंधी उपभोक्ता शिकायत प्राप्त होने पर मीटर का निरीक्षण	'ए' संवर्ग के शहर 4 (चार) दिवस नगरीय क्षेत्रों में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 12 (बारह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/-
(ख) मीटर के त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर उसे बदलना	आगामी बिल चक्र के भीतर	
(ग) जले मीटर को बदलना	7 दिवस	
4. नए कनेक्शन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन		
4.1 कृषि को छोड़कर निम्नदाब कनेक्शन		प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/-
(क) सामान्य घरेलु कनेक्शन (जहां विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में अतिरिक्त/क्षमता उन्नयन/अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है।)	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 8 (आठ) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 14 (चौदह) दिवस	
ख) ऊपर 'क' को छोड़कर (i) जहां विद्युमान नेटवर्क से जारी किया जा सकता है।	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 15 (पंद्रह) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 30 (तीस) दिवस (पेमेन्ट अवधि को छोड़कर)	
ii) जहां पॉवर सप्लाई हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन सहित डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विस्तार आवश्यक है।	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 90 (नब्बे) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 120 (एक सौ बीस) दिवस (पेमेन्ट अवधि को छोड़कर)	
4.2 निम्नदाब कृषि कनेक्शन		
i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध हो के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 90 (नब्बे) दिवस में	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/-
ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध नहीं हो के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 180 (एक सौ अस्सी) दिवस में	

4.3 उच्चदाब (एच.टी.) कनेक्शन		
(क) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिजिबिलिटी की संसूचना	15 (पंद्रह) कार्य दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹100/-
(ख) आकलित शुल्क के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना	30 (तीस) दिवस	
(ग) भुगतान एवं एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त कार्य की पूर्णता के लिए समय	90 (नब्बे) दिवस	
(घ) (i) लाइसेंसी द्वारा मीटर एवं मीटर उपस्कर की स्थापना कार्य की पूर्णता उपरान्त तीन माह का नोटिस जारी करना	7 (सात) दिवस	
(ii) लाइसेंसी द्वारा विस्तार कार्य पूर्णता उपरान्त भार की विमुक्ति तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति हेतु आवेदन जमा करना	7 (सात) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹100/-
5. भार में कमी	आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 100/-
6. बिल भुगतान न होने की स्थिति में काटे गये कनेक्शन का पुनः जोड़ा जाना (उपभोक्ता द्वारा समस्त देय राशि के भुगतान उपरांत)	शहर-8 (आठ) घण्टे नगरीय क्षेत्रों में-24 (चौबीस) घण्टे ग्रामीण क्षेत्र-2 (दो) दिवस उपभोक्ता द्वारा देय राशि के भुगतान से।	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 100/-
7. स्वामित्व का अन्तरण एवं सेवाओं में परिवर्तन	स्वामित्व	
(क) स्वामित्व का अन्तरण	आवेदन की स्वीकृति तथा नये आवेदक द्वारा सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त दो बिल चक्र के भीतर	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 50/-
(ख) उपभोक्ता सेवा में परिवर्तन	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक भुगतान, यदि आवश्यक हो के भुगतान उपरान्त आगामी बिल चक्र के पूर्व	
(ग) निम्नदाब से उच्चदाब तथा उच्चदाब से निम्नदाब संवर्ग में परिवर्तन	तालिका 'क' के अनुसार	

8. उपभोक्ता की शिकायत		
(क) बिल की अप्राप्ति	शिकायत के पंजीकरण की तारीख से 3 (तीन) दिवस के अन्दर	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/-
(ख) बिल भुगतान हेतु अपर्याप्त समय	बिल भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख में 2 (दो) दिवस की समयावृद्धि	
(ग) बिलिंग संबंधी शिकायत	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/-
9. उपभोक्ता मीटर के रीडिंग	प्रत्येक माह	प्रथम माह हेतु ₹100/- प्रथम माह उपरान्त प्रत्येक माह के विलंब हेतु ₹200/-
10. उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त डिपॉजिट की वापसी	60 (साठ) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/-
11. विश्वसनीयता हेतु सूचकांक को सीमा में मेन्टेन करने हेतु		
(SAIFI) किसी एक फीडर से प्रतिमाह बिजली की रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य रूकावट से अधिक संख्या पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	'ए' संवर्ग के शहर में प्रति उपभोक्ता 15 व्यवधान नगरीय क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 30 व्यवधान ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 35 व्यवधान	प्रत्येक उल्लंघन हेतु ₹60/- प्रति उपभोक्ता के मान से
(SAIDI) एक फीडर से प्रति माह बिजली रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य अवधि से अधिक पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	'ए' संवर्ग के शहर में 6 घंटे प्रति माह (360 मिनट/30) नगरीय क्षेत्र में 15 घंटे प्रति माह (900 मिनट/30) ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे प्रतिमाह (1200 मिनट/30)	प्रत्येक घंटे के व्यवधान हेतु ₹5/- प्रति उपभोक्ता के मान से

खण्ड-6

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2021-22

6.1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा(ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम से प्रकाशित हो चुका है, के द्वारा संचालित होते हैं। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2023-24 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण एवं महालेखाकार, छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण-पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

6.4 वित्तीय वर्ष 2021-2022 का रोकड़ विवरण निम्नानुसार है:-

प्रारंभिक रोकड़ (दिनांक 01.04.2021)	—	रु. 5,51,00,616.66 /—
(जो कि दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंतिम रोकड़ था)		
अंतिम रोकड़ (दिनांक 31.03.2022)	—	रु. 6,22,94,846.54 /—

परिशिष्ट



No. (AW)S-2/ A'U-13/ CSEKC/2021-22/F- 1659/D-1267

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of Principal Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

दिनांक

Date : 12/01/2023

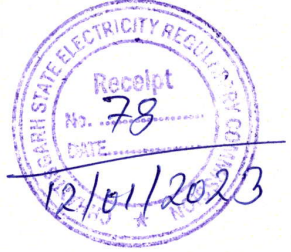
प्रति,

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, न्यू शांति नगर,

रायपुर (छ0ग0) 492001



विषय:-31 मार्च 2022 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को समाविष्ट कर प्रकाशित वार्षिक लेखों की छः प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त AGM कार्यवाही विवरण की एक प्रति सहित इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक— यथोपरी।

भवदीया,

म.प्र. - 381
11/1/2023

उप महालेखाकार

(ए.एम.जी.- II)

पोस्ट - मांडर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)

Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

फोन/Phone : 2582082 • फैक्स/Fax : 2582505 • ई-मेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF CHHATTISGARH STATE
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE YEAR ENDED
31 MARCH 2022**

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Commission) as at 31 March 2022 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003 and section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. These Financial Statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms and other significant audit observations with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity nature) etc., noticed during the audit of Financial Statements, if any. Audit observations relating to compliance with Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are also reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report are drawn up in the format approved by the Chhattisgarh State Government in consultation with the CAG under Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003.

- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104 (1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

We further report that:

A. Comments on Profitability

Income and Expenditure Account

Income

Commission/ Fee, penalty- ₹ 6.79 crore

1. As per the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges) Regulations, 2009 (Regulations) every distribution licensee was required to pay an annual license fee at the rate of 0.04 per cent of the revenue from sale of power. Accordingly, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) was required to deposit license fee amounting to ₹ 5.52¹ crore with CSERC for the year 2020-21. As against this, CSPDCL had deposited the license fee of ₹ 4.60 crore for the year 2020-21. Thus, the balance amount of ₹ 0.92 crore (₹ 5.52 crore - ₹ 4.60 crore) should have been recognized as receivable from CSPDCL in the financial statements for the year 2021-22. This has resulted in understatement of Other Current Assets and excess of Income over Expenditure by ₹ 0.92 crore.

B. General

Notes to Account (Schedule-L; Para 16)

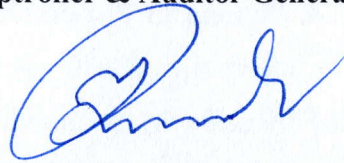
2. A reference is invited to Note No. 16 where in it is stated that "C.G. Govt. notified vide Finance Notification no. 11/2022 dt. 11/05/2022 implemented Old Pension Scheme (OPS) in place of New Pension (NPS), Commission letter no. 771 dt 20/05/2022 request the Govt to allow the OPS instead of NPS for Commission's regular officers/employee borne under regular establishment of the Commission. After information is received from that end liability shall be assessed and displayed in books of accounts in the form of contingent nature in the ensuing year 2022-23,"

However instead of stating it to be contingent liability it should be mentioned as **"After information is received from C.G. Government liability shall be assessed and would be provided in the books of accounts in the ensuing year 2022-23".** Therefore, the presentation of same is deficient to that extent.

¹ 13790.63x0.04%= ₹ 5.52 cr.
13790.63 (₹ 15686.59 cr – ₹ 1895.96 cr)

- iv. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2022; and
- b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of
the Comptroller & Auditor General of India**



Principal Accountant General (Audit)

Place: Raipur

Date: 12/01/2023

Annexure to Separate Audit Report

1. **Adequacy of Internal Control System:** Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Commission.
2. **Adequacy of Internal Audit System:** As per Rule 9 (b) of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007 “Internal audit of the Commission shall be entrusted to a person of the Commission designated by the Chairperson or to a firm of Chartered Accountants” however, Commission had not appointed the internal auditor for the year 2021-22. Thus, no internal audit of the Commission was conducted for the year 2021-22.
3. **System of Physical verification of fixed assets:** The Physical Verification of the Fixed Assets has not been conducted during the year 2021-22. In the absence of Physical Verification, the existence of fixed assets mentioned in accounts could not be vouchsafed in audit.
4. **System of Physical verification of inventory:** The Commission does not have any inventory as it is not a manufacturing or trading entity.
5. **Regularity in payment of statutory dues:** The Commission is regular in depositing undisputed statutory dues.

प्रारूप-क
(देखिये नियम 6)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2021 से 31.03.2022)

गत वर्ष (₹)	प्राप्तियाँ	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	भुगतान	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
17865.00	1. प्रारंभिक शेष	17730.00		38476377.00	1. स्थापना व्यय	41975097.00	
306.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	306.00		0.00	(i) वेतन एवं भत्ते	0.00	
33509738.46	(ii) खुदरा रोकड़	55082580.66	55100616.66	1736286.00	(ii) मजदूरी	1690457.00	
0.00	(iii) बैंक में रोकड़	0.00		672037.00	(iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	334339.00	
245000000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान			0.00	(iv) मृत्यु सह सूचानिवृत्ति उपदान	444070.00	
24819639.00	3. आयोग की प्राप्तियाँ				(v) अलकाश वेतन का भुगतान		
105815.00	(i) निवेश से प्राप्तियाँ				(vi) यात्रा व्यय	155046.00	
	(ii) निवेश का नगदीकरण	80000000.00		2250.00	(अ) देशीय यात्रा	0.00	
	(iii) निवेश पर ब्याज	455287.00		0.00	(ब) विदेश यात्रा	0.00	
	(iv) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	127455.00		454681.00	(स) अवकाश यात्रा सियासत	5000.00	
	(v) अन्य प्राप्तियाँ	0		6500.00	(vi) मानदेय (राज्य सेवाकार समिति)	759693.00	
	(क) वर्तन	67948433.00		1353255.00	(vii) चिकित्सा प्रतिपूति	9000.00	
68268329.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	2671506.00		7000.00	(ix) अधिलामांश	2862794.00	48235496.00
2822538.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	0.00		2425307.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)		
0.00	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज				प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
207000.00	(ङ) विविध प्राप्तियाँ			0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00	
36180.00	(i) बयाना राशि	1659000.00		320326.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	181939.00	
6283782.12	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	120621.00		0.00	(iii) किराया दर एवं कच	0.00	
1924313.00	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ	7241501.53		11095948.80	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	14087451.62	
3300.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिक्री	2438000.00		0.00	(v) कैथानिक व्यय	2325.00	
32258.00	(v) स्टाफ कार वसूली	6000.00		0.00	(vi) जी.आई.एस. अशदान प्रीमियम	0.00	14271715.62
0.00	(vi) गृह किराया वसूली	35001.00		931650.00	3. रूजगत व्यय		1807187.00
3200.00	(vii) प्रकाशन का विक्रय	800.00		9108.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		107658.00
1160.00	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	9000.00		248400.00	5. बयाना राशि की वापसी		1654000.00
2483880.00	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञापिधारी से प्राप्त आयकर प्राप्य	33186.00		6202309.12	6. प्रेषण भुगतान		7058548.03
116460.00	(xi) प्रशुल्क याचिका पुरस्तिका का विक्रय	2813730.00		45500.00	7. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
0.00		116460.00		1955.00	(i) अन्य अग्रिम	250097.00	
		0.00		80000.00	(ii) यात्रा अग्रिम	17600.00	
					(iii) त्यौहार अग्रिम	40800.00	308497.00
					8. अंतिम शेष		
				17730.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	21740.00	
				306.00	(ii) खुदरा रोकड़	306.00	
				55082580.66	(iii) बैंक में रोकड़	62272800.54	62294846.54
				1650.00	9. एन्टीवायरस साफ्टवेयर		930.00
				0.00	10. पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम		0.00
				616837.00	11. एन.आई.सी. सर्विस को अग्रिम		0.00
				0.00	12. आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम		0.00
				261999730.00	13. बैंक स्थायी निवेश		84555287.00
				3848040.00	14. सी.पी.एस. निधि का भुगतान		4465972.00
				0.00	15. पुराने भनादेश का भुगतान		0.00
385635763.58			224760137.19	385635763.58			224760137.19

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रारूप-3

(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2021 से 31.3.2022)

गत वर्ष (₹)	व्यय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
A. (1)	स्थापना व्यय	(सारणी-ज)					
38552212.00	I वेतन एवं भत्ता	38901512.00		0.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	0.00	
0.00	II मजदूरी	0.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	0.00	
1923753.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	2437466.00			घटाएँ: पूंजीकृत राशि	0.00	
0.00	IV सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00			शुद्ध योग:		0.00
672037.00	V मुन्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान	334339.00		16240634.00	2. निवेश पर ब्याज		13536325.00
627810.00	VI अवकाश नगदीकरण	1819556.00		0.00	3. अग्रिम पर ब्याज		0.00
1882557.00	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं भवन रक्षण)			2822538.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		2671506.00
	3. यात्रा व्यय			0.00	5. सुरक्षा निधि पर ब्याज		0.00
0.00	i. विदेश यात्रा	0.00		67268325.00	6. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		67947961.00
200.00	ii. देशीय यात्रा	269822.00			7. विविध प्राप्तियां		
454681.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	0.00		0.00	(क) सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ	455	
6500.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	269822.00		3300.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	6000.00	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता	0.00		32258.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	35001.00	
1338482.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	820139.00		3200.00	(घ) प्रकाशन का विक्रय	9000.00	
7000.00	7. अधिलामांश	9000.00		1160.00	(ङ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	33186.00	83642.00
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय	0.00					
0.00	9. वैधानिक व्यय	2325.00					
0.00	10. सम्पत्ति के विक्रय पर हानि	0.00					
0.00	11. जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम	0.00					
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय						
0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00					
321681.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	180942.00					
0.00	(iii) किराया, दर एवं कर	0.00					
8312961.52	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	12504894.62					
1650.00	(v) साफ्टवेयर के लागत में कमी	930.00					
1755652.00	ग. अक्षयण	12686766.62					
30514238.48	ङ. आय का व्यय पर आधिक्य	1581782.00					
		23593418.38					
86371415.00	योग	84239434.00		86371415.00	योग		84239434.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

(सारणी-अ)

(देखिये नियम 5)

स्थापना व्यय 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	9358088.00	18623778.00	10919646.00	38901512.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	1419474.00	1017992.00	2437466.00
(IV)	सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
(V)	मुत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	210634.00	123705.00	334339.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	119173.00	1872027.00	-171644.00	1819556.00
	योग	9477261.00	22125913.00	11889699.00	43492873.00

(सारणी-ब)

(देखिये नियम 5)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	113947.00	156073.00	-198.00	269822.00
(II)	विदेश यात्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	113947.00	156073.00	-198.00	269822.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) ₹	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) ₹
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2021 को	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2022 को	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	1671886.00	967677.00	1000000.00	1639563.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	200000.00	0.00	-190500.00	390500.00
3	बैंक शुल्क	4790.62	0.00	0.00	4790.62
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	77087.00	0.00	0.00	77087.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	25605.00	0.00	0.00	25605.00
6	सलाहकारिता शुल्क	2728180.00	1185750.00	0.00	3913930.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	472332.00	0.00	26920.00	445412.00
8	अधिवक्ता शुल्क	733895.00	0.00	229970.00	503925.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	47750.00	0.00	0.00	47750.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा)	199101.00	17060.00	16810.00	199351.00
11	भाड़ा (कार)	717147.00	77873.00	39998.00	755022.00
12	प्रशिक्षण व्यय	37760.00	0.00	0.00	37760.00
13	विद्युत रखरखाव	541309.00	38940.00	19470.00	560779.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	2500.00	0.00	0.00	2500.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	382057.00	24692.00	41894.00	364855.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	36850.00	0.00	0.00	36850.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	11259.00	0.00	0.00	11259.00
18	पोशाक/गणवेश व्यय	37077.00	0.00	0.00	37077.00
19	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	32727.00	0.00	11115.00	21612.00
20	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	129786.00	14850.00	20064.00	124572.00
21	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	472000.00	0.00	0.00	472000.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	100000.00	0.00	0.00	100000.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	0.00	0.00	0.00	0.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (CBIP)	0.00	0.00	0.00	0.00
25	सदस्यता शुल्क व्यय (IIT Kanpur)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	विविध कार्यालय व्यय	1004115.00	1137.00	975.00	1004277.00
27	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	16288.00	1565.00	1875.00	15978.00
28	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई	480323.00	0.00	0.00	480323.00
29	डाक एवं तार व्यय	24183.00	0.00	0.00	24183.00
30	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	280222.00	26936.00	5500.00	301658.00
31	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय	50957.00	0.00	0.00	50957.00
32	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	0.00	0.00	0.00	0.00
33	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	315833.00	-29934.00	-17827.00	303726.00
34	चिकित्सा परामर्श शुल्क	16220.00	-10000.00	0.00	6220.00
35	चिकित्सा व्यय	25701.00	0.00	0.00	25701.00
36	कर्मचारी प्रोत्साहन व्यय	190000.00	0.00	0.00	190000.00
37	अनुवाद व्यय	30900.00	0.00	0.00	30900.00
38	भवन (सुधार एवं रखरखाव)	60277.00	0.00	0.00	60277.00
39	सभा व्यय	132832.00	0.00	0.00	132832.00
40	अन्य प्रशासनिक व्यय	1177316.00	76331.00	98072.00	1155575.00
41	जल व्यय	38629.00	0.00	0.00	38629.00
42	सोलार ऊर्जा (सुधार एवं रखरखाव)	0.00	494016.00	0.00	494016.00
	योग	12504894.62	2886893.00	1304336.00	14087451.62

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप-4
(देखिये नियम 8)

तुलन पत्र 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2021 से 31.3.2022)

गत वर्ष (₹)	दायित्व	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आस्तियाँ	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
352359033.16	सी.एस.ई.आर.सी. (निधि का गठन एवं निधि की रिति) नियम 2007 (सारणी-1)	312364670.16		49877536.00	स्थायी आस्तियाः सकल योग	80672297.00	
	प्रारंभिक शेप	0.00					
	जोड़िये: पूर्वगामी अवधि	312364670.16			घटाईये: अवक्षयण		
	योग	23593418.38			शुद्ध योग	31448177.00	
	जोड़िये: आय का व्यय पर आधिक्य	335958088.54		0.00	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)		49224120.00
	जोड़िये: एम.एन.आर.ई. से सहायता अनुदान	3652055.00		278124415.01	निवेश		0.00
	घटाईये: अवक्षयण	133000.00		127455.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम		292178791.01
	जोड़िये: छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान	35559005.00		156170.00	निक्षेप		308497.00
	घटाईये: अवक्षयण	745476.00		0.00	भविष्य निधि		156170.00
	योग	34813529.00	374290672.54	174379.00	विविध देनदार		0.00
	ऋणः			0.00	अनुदान प्राप्य		8890.00
	घातू दायित्व एवं प्रावधानः				अंतिम शेपः		0.00
71997.50	प्रेषण		254951.00	18036.00	हस्तस्थ रोकड		22046.00
-534.00	भविष्य निधि		408960.00	55082580.66	बैंक में रोकड		62272800.54
35993632.01	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व		34068181.01	0.00	लेखाओं पर टिप्पणीयों		0.00
0.00	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए)		0.00	0.00	जी.आई.एस. (पूर्वदत्त)		0.00
				29934.00	मोटर कार बीमा (पूर्वदत्त)		17827.00
				1838000.00	पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम		1838000.00
				1402623.00	एन.आई.सी सविस् को अग्रिम		1402623.00
				1593000.00	आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम		1593000.00
388424128.67	योग		409022764.55	388424128.67	योग		409022764.55

टीपः 1 राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलामांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्युपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.50000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/- आकलित किया गया है।



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-1

(देखिये फार्म पट)

पूँजी निधी 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)						
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	कार्यालय भवन	33096221.00	0.00	33096221.00	633595.00	32462626.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	2609029.00	84901.00	2693930.00	377811.00	2316119.00
(iv)	वातानुकूलित	898484.00	0.00	898484.00	75313.00	823171.00
(v)	गणक यंत्र	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
(vi)	आंकड़ा संसाधन यंत्र	296820.00	0.00	296820.00	0.00	296820.00
(vii)	विद्युत उपकरण	130398.00	0.00	130398.00	1209.00	129189.00
(viii)	अग्नि शमन उपकरण	9611.00	0.00	9611.00	1824.00	7787.00
(ix)	यंत्र एवं उपकरण	3751116.00	48700.00	3799816.00	265232.00	3534584.00
(x)	भू-सज्जा एवं उद्यान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xi)	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	982592.00	242256.00	1224848.00	415295.00	809553.00
(xii)	सौर ऊर्जा संयंत्र	5680949.00	0.00	5680949.00	206888.00	5474061.00
(xiii)	मोटर गाड़ी	2422307.00	1431330.00	3853637.00	483436.00	3370201.00
(xi)	उपहार/ दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiii)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00
(xiv)	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvi)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	35559005.00	0.00	35559005.00	745476.00	34813529.00
(xvii)	एम.एन.आर.ई से सहायता अनुदान (सौर ऊर्जा संयंत्र)	3652055.00	0.00	3652055.00	133000.00	3519055.00
	निवल चालू आस्तियाँ	263270437.16	23463531.38	286733968.54	0.00	286733968.54
		352359033.16	25271648.38	377630681.54	3340009.00	374290672.54

सारणी-2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)						
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.00	219470.0	219470.0	209593.0	9877.00
(ii)	अनुज्ञाप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	43218.00	6501642.00	6544860.00	6385000.00	159860.00
(iv)	वस्तु एवं सेवा कर	14192.00	113059.00	127251.00	88066.00	39185.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	14587.50	407135.53	421723.03	375889.03	45834.00
		71997.50	7241501.53	7313499.03	7058548.03	254951.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2021

(अंशदायी पेंशन योजना)

(1.4.2020 से 31.3.2021)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेष:		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	2437466.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	2437466.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	4874398.00
	घटायें: कुल भुगतान		4465438.00
	योग		408960.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	319809.00	120621.00	0.00	107658.00	332772.00
2	बयाना राशि जमा	469026.00	1659000.00	0.00	1654000.00	474026.00
3	विविध लेनदार	1018730.00	1000476.00	0.00	1000004.00	1019202.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
1	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	500000.00	1000000.00	500000.00	0.00	1000000.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	360000.00	-160000.00	0.00	0.00	200000.00
3	छ.ग. गृह निर्माण मंडल (देय)	3129961.00	0.00	0.00	0.00	3129961.00
4	क्रेडा, रायपुर (देय)	5585495.00	0.00	0.00	0.00	5585495.00
5	सलाहकारिता शुल्क (देय)	1284750.00	0.00	0.00	1185750.00	99000.00
6	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	194452.00	0.00	0.00	194452.00	0.00
7	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	0.00	26920.00	0.00	0.00	26920.00
8	अधिवक्ता शुल्क (देय)	0.00	229970.00	0.00	0.00	229970.00
9	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	17060.00	16810.00	17060.00	0.00	16810.00
10	भाड़ा (कार) देय	77873.00	39998.00	77873.00	0.00	39998.00
11	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	24692.00	41894.00	24692.00	0.00	41894.00
12	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	0.00	11115.00	0.00	0.00	11115.00
14	वर्दी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अवकाश नगदीकरण (देय)	5552636.00	1375486.00	0.00	0.00	6928122.00
16	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	14850.00	20064.00	14850.00	0.00	20064.00
17	यंत्र एवं उपकरण की लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	चिकित्सा सहकारिता शुल्क (देय)	0.00	0.00	-10000.00	0.00	10000.00
19	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	1137.00	-369025.00	1137.00	0.00	-369025.00
20	विद्युत रखरखाव (देय)	38940.00	19470.00	38940.00	0.00	19470.00
21	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1565.00	1875.00	1565.00	0.00	1875.00
22	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	26936.00	5500.00	26936.00	0.00	5500.00
23	वेतन एवं भत्ते (देय)	3079376.00	5791.00	3079376.00	0.00	5791.00
24	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	383505.00	471356.00	383505.00	0.00	471356.00
25	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.म. को देय)	37050.00	0.00	0.00	0.00	37050.00
26	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय)	13742.00	12745.00	13742.00	0.00	12745.00
28	यात्रा भत्ता (देय)	0.00	114776.00	0.00	0.00	114776.00
29	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	261790.00	0.00	-60446.00	0.00	322236.00
30	अन्य प्रशासनिक व्यय (देय)	76331.00	98072.00	76331.00	0.00	98072.00
31	विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञापितधारी से प्राप्त	154983.00	0.00	0.00	0.00	295992.00
32	वितरण कंपनी को (देय)	13287587.01	518051.00	0.00	0.00	13805638.01
33	पी.डब्ल्यू.डी (देय)	79556.00	0.00	0.00	0.00	79556.00
34	बालाजी कम्युटेक प्रा.लि (देय)	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
	योग	35993632.01	6260965.00	4185561.00	4141864.00	34068181.01



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	0.00	
	योग:	0.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	0.00
	शुद्ध शेष		0.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-क

(देखिये फार्म IV)
स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2022
(1-4-2021 से 31-3-2022)

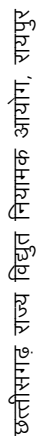
राशि (₹)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण				निवल आस्तियों वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेडिये	निपटान	योग		वर्ष के दौरान वृद्धि	निपटान	अंतिम शेष 31 मार्च 2022 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	भूमि (छ.ग. शासन से निशुल्क प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	भवन	40100961.00	0.00	0.00	40100961.00	1.58%	7004740.00	633595.00	0.00	7638335.00	33096221.00	32462626.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	5116077.00	84901.00	0.00	5200978.00	9.50%	2507048.00	377811.00	0.00	2884859.00	2609029.00	2316119.00
4	यातानुकूलित	2008818.00	0.00	0.00	2008818.00	6.33%	1110334.00	75313.00	0.00	1185647.00	898484.00	823171.00
5	गणक यंत्र	180.00	0.00	0.00	180.00	6.33%	171.00	0.00	0.00	171.00	9.00	9.00
6	आंकड़ा संसाधन यंत्र	2373682.00	0.00	0.00	2373682.00	40.00%	2076862.00	0.00	0.00	2076862.00	296820.00	296820.00
7	विद्युत उपकरण	2583787.00	0.00	0.00	2583787.00	6.33%	2453389.00	1209.00	0.00	2454598.00	130398.00	129189.00
8	अग्नि शमन उपकरण	116636.00	0.00	0.00	116636.00	6.33%	107025.00	1824.00	0.00	108849.00	9611.00	7787.00
9	यंत्र एवं उपकरण	4377117.00	48700.00	6900.00	4418917.00	6.33%	619101.00	265232.00	6555.00	884333.00	3758016.00	3534584.00
10	भू-सज्जा एवं उद्यान	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	2605221.00	242256.00	0.00	2847477.00	40.00%	1622629.00	415295.00	0.00	2037924.00	982592.00	809553.00
12	सौर ऊर्जा संयंत्र	15555495.00	0.00	0.00	15555495.00	1.33%	9874546.00	206888.00	0.00	10081434.00	5680949.00	5474061.00
13	मोटर गाड़ी	4034036.00	1431330.00	0.00	5465366.00	11.88%	1611729.00	483436.00	0.00	2095165.00	2422307.00	3370201.00
14	उपहार/ दान समस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य समस्तियाँ (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	सकल योग (1) से (15)	78872010.00	1807187.00	6900.00	80672297.00		28987574.00	2460603.00	6555.00	31448177.00	49884436.00	49224120.00
17	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	930.00	930.00	0.00		0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	पूँजी क्रियमाण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	महा योग (16+18)	78872010.00	1808117.00	7830.00	80672297.00		28987574.00	2461533.00	6555.00	31448177.00	49884436.00	49224120.00
22	गत वर्ष	72060516.00	5536221.00	-1275273.00	78872010.00		22581256.00	2959543.00	2268.00	25538531.00	49479260.00	49884436.00

टीपः

* आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल्य हास दर को स्वीकृत करते हुए मानक लेखांकन –VI का पालन किया गया है।

** सोलार पावर प्लान्ट पर आर.ई. विनियम के आधार पर हास दर /7% कि दर से 10 वर्ष तक एवं इसके उपरान्त 1.33% की दर से अपरिमित किया जायेगा।



सारणी-ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2022

(1.4.2021 से 31.3.2022)

47



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप-योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	अनाज अग्रिम	1955.00	35200.00	19555.00	17600.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	80000.00	136000.00	175200.00	40800.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	45500.00	895705.00	691108.00	250097.00
	उप-योग	127455.00	1066905.00	885863.00	308497.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	127455.00	1066905.00	885863.00	308497.00

सारणी-घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	156170.00	0.00	0.00	156170.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	156170.00	0.00	0.00	156170.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-इ

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष (बैंक में) जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये निवेश	-534.00	0.00
		534.00	
		0.00	
	घटाईये: निवेश का नगदीकरण		
ब	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	0.00

सारणी-च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

		राशि (₹)			
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ	ग्रीन एनर्जी से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	रामेश्वरम स्टील एंड पावर से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
स	छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या. से प्राप्य	170000.00	0.00	170000.00	0.00
द	विद्युत लोकपाल कार्यालय के खर्चों का भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	4379.00	0.00	4379.00	0.00
ई	अनुज्ञप्ति शुल्क अंतर की राशि भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
फ	आयकर प्राप्य	0.00	8890.00	0.00	8890.00
	योग	174379.00	8890.00	174379.00	8890.00

सारणी-छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये दावे		0.00
		0.00	
		0.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	0.00	
	योग	0.00	0.00



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	21740.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	306.00
	योग	22046.00

सारणी-झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2022

(1-4-2021 से 31-3-2022)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	पंजाब नैशनल बैंक, रायपुर	34029683.18
ब	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर	15038125.00
स	केनरा बैंक, रायपुर	0.00
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर	2840051.06
ई	एच.डी.एफ.सी. बैंक	10364941.30
	योग	62272800.54

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनांक 31.3.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी
(1.4.2021 से 31.3.2022)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ—वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :-

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2021 के अंकक्षित तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा ऐतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. समस्त अनुदानों का लेखा मानक लेखांकन 12 के अनुसार किया गया है।
5. स्थायी आस्तियों का मूल्य, लागत मूल्य में दर्शाया गया है।
6. आयोग द्वारा मूल्यह्रास की दर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से परिकलित किया गया है।
7. संगणक यंत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकिय, मोबाईल एवं अन्य उपकरणों के संबंध में 40% घटती किस्त पद्धति को आयोग द्वारा अपनाया गया है।
8. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
9. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु 2400 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है।
10. मृत्यु सःह सेवानिवृत्ति उपादान हेतु 31 मार्च 2022 को रु.8596079/- का संचय आयोग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
11. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया है।
12. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.50000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/- आकलित किया गया है।
13. छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा रु.4.01 करोड़ में आयोग भवन का निर्माण किया गया जिसे आयोग द्वारा सकल राशि को पूंजीकृत किया गया है। परन्तु भवन निर्माण प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया गया है आयोग द्वारा भवन का उपयोग किया जा रहा है अतः पूंजीकृत राशि पर ही अवक्षयण लगाया जा रहा है।

- 14 अपील नं. 339/2016 जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं रियल पॉवर प्रा. लिमि. एवं अन्य जिनमे माननीय एपटेल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक प्रकरण का अंतिम निर्णय न हो तब तक विवादित देयक राशि रु. 32 लाख आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जमा किया जावेगा। साथ ही माननीय एपटेल द्वारा आयोग को यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि को सावधि जमा कर निर्णयोपरांत ब्याज सहित वापस किया जाएगा।
- 15 अपील क्र.256/2018 के अनुपालन जिसमें माननीय एपटेल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार “आवेदक द्वारा रु.4094381/- राज्य आयोग के पास जमा किया जायेगा जिसे राज्य आयोग द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जायेगा तथा राज्य आयोग द्वारा समय समय पर सावधि जमा का नवीनीकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं नये अपील होने पर निपटान किया जायेगा”। जिसके तारतम्य में आयोग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया है जब तक कि माननीय एपटेल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता।
- 16 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11/2022 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा नवीन पेंशन योजना के स्थान में पुरानी पेंशन योजना कार्यान्वित करना। पत्र क्रमांक 771 दिनांक 20.05.2022 के द्वारा राज्य शासन को आयोग कार्यालय के नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी हेतु नवीन पेंशन योजना के स्थान में पुरानी पेंशन योजना कार्यान्वित करने हेतु निवेदन किया गया है। राज्य शासन से जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में मूल्यांकन कर लेखा पुस्तकों में आकस्मिक प्रकृति के रूप में दर्शित किया जावेगा।

लेखाधिकारी

सचिव